

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कटनी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07622- 227417 (FAX) 07622-220700 PIN 483501, E-mail- dfotkatn@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 5853
प्रति,

कटनी दिनांक 27/9/2023

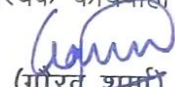
कार्यपालन यंत्री
लो नि वि रा.रा.संभाग
जबलपुर (म0प्र0)

विषय : डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हेक्टेयर वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 4.50 हेक्टेयर वनभूमि कुल 12.956 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर को उपयोग पर देने बावत्। प्रपोजल क्रमांक FP/MP/ROAD/51129/2020.

संदर्भ : 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म0प्र0 के पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 008/2022-बीएचओ/ दिनांक 30.08.2023.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1105/2022/10-11/4051 दिनांक 05.09.2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत वनमंडल कटनी अंतर्गत डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हेक्टेयर वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 4.50 हेक्टेयर वनभूमि कुल 12.956 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म0प्र0 के पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 008/2022-बीएचओ/ दिनांक 30.08.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त क्रमांक A(1) के अनुसार वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 10894148/- कैम्पा मद में E-Portal (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से जमा करायी जाये एवं पुष्टि अभिलेख की सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।


(गौरव शर्मा)
भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

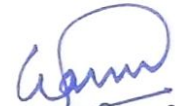
सामान्य वनमंडल कटनी

कटनी दिनांक 27/9/2023

पृष्ठांकन क्रमांक/मानचित्रकार/5854
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

01/


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07644- 234400 (R) 07644-234066 (FAX) 07644 - 234024 PIN 481880, Email- dfotddori@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/ 6223
प्रति,

डिण्डौरी दिनांक 22/ 9 /2023

- ✓ कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर म.प्र.
- विषय :- डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हे० वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 4.50 हे० वनभूमि कुल 12.956 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने बावद्।
(पुनरीक्षित)
- संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR 008/2022-BHO दिनांक 30.08.2023 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1105/2022 / 10-11/4051 दिनांक 05.09.2023 एवं इस कार्या० का पत्र क्र०/माचि/ 6085 दिनांक 19.09.2023

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी मार्ग के चौड़ीकरण में कुल प्रभावित वनभूमि 12.956 हे० के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से संदर्भित पत्र से सैद्धांतिक स्वीकृति शर्तों के तहत प्रदाय की गयी है। प्रधान मु.व.सं. (कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र से आवेदक संस्थान को नेटप्रेजेन्ट वैल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा कराते हुए शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

वैकल्पिक वृक्षारोपण कटनी वनमण्डल में प्रस्तावित होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि कटनी वनमण्डल द्वारा प्राप्त की जावेगी। इस वनमण्डल का 8.456 हे. का एरिया मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित हो रहा है, जिसके लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि की गणना कर इस कार्यालय का पत्र क्र०/माचि/6085 दिनांक 19.09.2023 द्वारा लेख किया गया है जिसमें लगाया गया दर त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनरीक्षित राशि निम्नानुसार जमा कराया जावे :-

क्र०	मद	रकवा हे.में	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	8.456	0.4 से 0.6 तक	Eco Class-I	1,21,48,482/-	पुनरीक्षित
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	वैकल्पिक वृक्षारोपण कटनी वनमण्डल में प्रस्तावित होने के कारण उक्त राशि कटनी वनमण्डल द्वारा प्राप्त की जावेगी।				
कुल योग :-					1,21,48,482.00	

उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि 1,14,75,722/- जमा करने हेतु प्रधान मु.व.सं. (कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/0-11/66 दिनांक 07.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राशि कैम्पा मद में ई-पोर्टल के माध्यम से MOEF की वेबसाईड www.forestsclearance.nic.in पर जमा किये जाकर उसकी पावेती/रसीद एवं शर्तों का पालन प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

पृ०क्र०/तकनीकी/
प्रतिलिपि :-

डिण्डौरी दिनांक / /2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक मध्यवृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर -482001

फोन : 91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbpb@mp.gov.in

जबलपुर दिनांक 08-09-2023

क्रमांक/डी०एम०/एस०टी०ओ०/ 2934
प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर

विषय :-

डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हेक्टेयर वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 4.50 हेक्टेयर वनभूमि कुल 12.956 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/Road/51129/2020)

संदर्भ :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1105/2022/10-11/4051 दिनांक 05/09/2023.
2- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPR 008/2022-BHO दिनांक 30/08/2023.

---000---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हेक्टेयर वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 4.50 हेक्टेयर वनभूमि कुल 12.956 हेक्टेयर वन भूमि हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPR 008/2022-BHO दिनांक 30/08/2023 से सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्त क्रमांक A(2) की पूर्ति बाबत जबलपुर वनमण्डल की प्रभावित वन भूमि 4.50 हेक्टेयर की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि कैम्पा मुद में निम्नानुसार जमा करने का कष्ट करें :-

क्रमांक	स्वीकृति की शर्त क्रमांक	विवरण	राशि
1	A(2)	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि :- परियोजना में व्यपवर्तित वन भूमि वन परिक्षेत्र कुण्डम, कक्ष क्रमांक RF-333 रकवा 4.00 हेक्टेयर एवं PF-334 रकवा 0.50 हेक्टेयर कुल रकवा 4.50 हेक्टेयर, ईको श्रेणी III, घनत्व 0.5, मध्यम घनत्व वन प्रति हेक्टेयर दर 1228590/- X 4.50 hec. = 5528655/-	5528655/-

भारत सरकार की स्वीकृति शर्त क्रमांक B(4) Felling of tree हेतु वन भूमि पर कार्य की स्वीकृति/उपयोग पर दिये जाने के आदेश के पश्चात् वन भूमि के हस्तांतरण/ उपयोग के पूर्व पृथक से मांग पत्र दिया जावेगा।

कृपया उपरोक्त राशि जमा कर शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल जबलपुर
जबलपुर दिनांक 08-09-2023

पृष्ठांकन क्रमांक/डी०एम०/ एस०टी०ओ०/ 2935

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक /एफ-5/1105/2022/10-11/4051 दिनांक 05/09/2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2- वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल जबलपुर